

17 फरवरी 2024 : समाचार विश्लेषण**A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:**

आज इससे संबंधित समाचार उपलब्ध नहीं हैं।

B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:**अंतर्राष्ट्रीय संबंध**

1. भारत ने मध्य एशियाई देशों से कहा कि चाबहार बंदरगाह का उपयोग करें

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:**आंतरिक सुरक्षा**

1. म्यांमार के नए कानून से बड़े पैमाने पर पलायन हो सकता है

भारतीय अर्थव्यवस्था

1. ED की जांच में पेटीएम मामले में FEMA का उल्लंघन नहीं पाया गया
2. RBI को ऋण-से-मूल्य (loan-to-value) मानदंडों की जांच करनी चाहिए: गोल्ड लोन कंपनियां

D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित समाचार उपलब्ध नहीं हैं।

E. संपादकीय:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

1. पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता वाली स्थिति

शासन

1. इलेक्टोरल बांड पर न्यायालय की 'ना' में निहित स्पष्ट संदेश

F. प्रीलिम्स तथ्य:

1. नए सौदों में टॉरपीडो, रिफ्यूलर विमानों को DAC ने मंजूरी दे दी है

G. महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित समाचार उपलब्ध नहीं हैं।

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

भारत ने मध्य एशियाई देशों से कहा कि चाबहार बंदरगाह का उपयोग करें

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विषय: भारत और पड़ोसी देशों के बीच संबंध। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित

और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार

मुख्य परीक्षा: भारत की विदेश नीति तथा भारत और उसके पड़ोसी संबंध

सन्दर्भ: तालिबान शासन के बीच अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार के महत्व पर जोर देते हुए भारत ने मध्य एशियाई देशों से बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और व्यापार के लिए ईरान में चाबहार बंदरगाह का उपयोग करने का आग्रह किया।

चाबहार बंदरगाह उपयोग:

- भारत मध्य एशियाई देशों को भारत और अन्य वैश्विक भागीदारों के साथ समुद्री व्यापार के लिए चाबहार बंदरगाह और शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

बिश्केक में क्षेत्रीय वार्ता:

- भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बिश्केक में अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषदों के सचिवों/राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की छठी क्षेत्रीय वार्ता के दौरान अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार पर जोर दिया है।

तालिबान पर भारत का रुख:

- भारत ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है।

राजनयिक जुड़ाव:

- हाल की राजनयिक भागीदारी में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देने के बावजूद काबुल में हितधारकों के साथ चर्चा में भारत की भागीदारी शामिल है।

निष्कर्ष:

- भारत अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार की आवश्यकता पर जोर देता है और मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी और व्यापार बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह का उपयोग करने का आह्वान करता है। तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देने के बावजूद, भारत मानवीय चिंताओं को दूर करने तथा आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए क्षेत्रीय वार्ता में लगा हुआ है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित

म्यांमार के नए कानून से बड़े पैमाने पर पलायन हो सकता है

आंतरिक सुरक्षा

विषय: आंतरिक सुरक्षा के लिये चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्त्वों की भूमिका और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन; संगठित अपराध का आतंकवाद से संबंध।

मुख्य परीक्षा: आंतरिक सुरक्षा

सन्दर्भ: देशव्यापी विद्रोह के बीच म्यांमार के नए भर्ती कानून के तहत 18 से 35 वर्ष की आयु के सभी पुरुष नागरिकों को सशस्त्र बलों में शामिल होना अनिवार्य है, जिससे पड़ोसी देशों में बड़े पैमाने पर पलायन की आशंका पैदा हो गई है।

भर्ती घोषणा:

देशव्यापी विद्रोह के समाधान की आवश्यकता का हवाला देते हुए, म्यांमार के हालिया भर्ती कानून में प्रावधान किया गया है कि 18 से 35 वर्ष की आयु के सभी पुरुष नागरिकों को सशस्त्र बलों में शामिल होना पड़ेगा।

आंतरिक स्थिति और शरणार्थी पलायन:

म्यांमार के लोकतांत्रिक विपक्ष के सूत्र आंतरिक संघर्ष की एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं, इस चिंता को व्यक्त किया गया है कि हताश सैन्य शासक खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों को तेज कर सकते हैं। बड़ी

संख्या में सैनिकों ने बांग्लादेश और भारत में शरण मांगी है, जिससे उनकी वापसी के लिए राजनयिक बातचीत शुरू हो गई है।

सामरिक बाधाएँ:

पड़ोसी क्षेत्रों से सैनिकों को वापस लाने के म्यांमार के प्रयासों को लॉजिस्टिकल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो जुंटा के लिए सामरिक बाधाओं का संकेत है।

इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- **सीमा सुरक्षा:** म्यांमार में अस्थिरता भारत के लिए सीमा सुरक्षा चुनौतियाँ पैदा करती है।
- **मानवीय प्रतिक्रिया:** भारत को म्यांमार से भाग रहे शरणार्थियों को मानवीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है।
- **द्विपक्षीय संबंध:** भारत की प्रतिक्रिया से म्यांमार के साथ राजनयिक संबंधों पर असर पड़ सकता है।
- **क्षेत्रीय स्थिरता:** म्यांमार की अस्थिरता दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकती है।
- **टकराव समाधान:** भारत को संकट से निपटने के लिए म्यांमार में शांति-निर्माण प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता हो सकती है।

हाल ही में, भारत ने म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था को निलंबित कर दिया।

मुक्त आवागमन व्यवस्था: मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR) एक अनूठा समझौता है जो पहाड़ी जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को वीजा-मुक्त आवाजाही की अनुमति देता है, जो भारत या म्यांमार के नागरिक हैं और सीमा के दोनों ओर 16 किमी के दायरे में रहते हैं।

निष्कर्ष और भावी कदम:

म्यांमार में भर्ती कानून आंतरिक समस्या के बढ़ने और शरणार्थी संकट पैदा होने की चिंताओं को जन्म देता है। म्यांमार, भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक प्रयासों में आगे की अस्थिरता और विस्थापन को रोकने के लिए संघर्ष के मूल कारणों को हल करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। संभावित सामूहिक पलायन का समाधान करने और क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय सहयोग और मानवीय सहायता महत्वपूर्ण हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित

ED की जांच में पेटीएम मामले में FEMA का उल्लंघन नहीं पाया गया

भारतीय अर्थव्यवस्था

विषय: संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियाँ, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की मूल बातें; मनी लॉन्ड्रिंग और इसकी रोकथाम।

मुख्य परीक्षा: मनी लॉन्ड्रिंग

सन्दर्भ: पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) से जुड़े लेनदेन की प्रवर्तन निदेशालय की जांच फेमा और PMLA के तहत संभावित उल्लंघनों पर केंद्रित है, साथ ही 31 जनवरी को जारी आरबीआई के परिपत्र में गैर-अनुपालन और पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण PPBL के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

ED के जांच के परिणाम:

- प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) लेनदेन की जांच के दौरान विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत उल्लंघन नहीं मिला।

RBI परिपत्र:

- 31 जनवरी को, RBI ने एक परिपत्र जारी किया था जिसमें PPBL को ग्राहक खातों, वॉलेट, FASTags और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) में आगे जमा, टॉप-अप या क्रेडिट लेनदेन से 29 फरवरी के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसे अब 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया है।

ऑडिट निष्कर्ष:

- RBI की कार्रवाई PPBL में लगातार गैर-अनुपालन और पर्यवेक्षी चिंताओं की रिपोर्ट पर आधारित थी, जैसा कि बाहरी ऑडिटर की रिपोर्ट और व्यापक सिस्टम ऑडिट निष्कर्षों में बताया गया था।

ED के जांच का दायरा:

- ED ने FEMA और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के संभावित उल्लंघनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय लेनदेन की जांच की। हालाँकि, चूंकि PMLA के तहत कोई अनुसूचित अपराध नहीं पाया गया, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग जांच नहीं की गई।

अनुपालन और RBI प्राधिकरण:

ED ने 50 लाख से अधिक वॉलेट या खातों की जांच की, जिनमें से ज्यादातर छोटी जमा राशि वाले थे, जिसमें विदेशी मुद्रा नियमों का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया। अन्य कथित उल्लंघन, जैसे नो योर कस्टमर (KYC) अनुपालन, उचित कार्रवाई के लिए RBI के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित

RBI को ऋण-से-मूल्य (loan-to-value) मानदंडों की जांच करनी चाहिए: गोल्ड लोन कंपनियां

भारतीय अर्थव्यवस्था

विषय: उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि और निवेश मॉडल

मुख्य परीक्षा: भारतीय रिज़र्व बैंक और उसके नियामक तंत्र

सन्दर्भ:

- गोल्ड लोन कंपनियों के संघ ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से गोल्ड लोन के लिए ऋण-से-मूल्य (LTV) मानदंडों के संबंध में विशेषकर मार्च 2021 में अस्थायी छूट अवधि समाप्त होने के बाद कुछ बैंक शाखाओं द्वारा उल्लंघन की जांच करने का आग्रह किया है।

LTV मानदंडों का उल्लंघन:

- सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कुछ बैंकों पर गोल्ड लोन के लिए 75% LTV मानदंड का उल्लंघन करने का आरोप है, जो बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) में एक समान है।

RBI की छूट और चिंताएँ:

- RBI ने कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए अगस्त 2020 में गोल्ड लोन के लिए अनुमेय LTV मानदंड को अस्थायी रूप से 75% से बढ़ाकर 90% कर दिया। हालाँकि, कुछ बैंक शाखाओं द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक ऋण देने को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

कृषि गोल्ड ऋण पर ध्यान:

- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वर्गीकरण लाभ और डिफॉल्ट के मामले में आसान वसूली के कारण बैंक कृषि गोल्ड ऋण पर तेजी से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस बीच, गैर-कृषि क्षेत्र में गोल्ड ऋण में वृद्धि स्थिर बनी हुई है।

उद्योग विकास और आउटलुक:

- वित्तीय वर्ष 2018 और 2022 के बीच गोल्ड लोन फाइनेंस में 15% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) देखी गई, जो सोने की स्थिर कीमतों और महामारी के दौरान बढ़ी हुई मांग से प्रेरित है। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2024 में सुधार होने से पहले वित्तीय वर्ष 2023 में ऋण वृद्धि में कमी आई।

निष्कर्ष और भावी कदम:

- RBI से किया गया अनुरोध गोल्ड लोन क्षेत्र में LTV मानदंडों के अनुपालन के संबंध में चिंताओं को उजागर करता है। अनुपालन सुनिश्चित करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए नियामक निरीक्षण महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, उद्योग हितधारकों को ऋणों के उचित वर्गीकरण और नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन जैसे मुद्दों के समाधान के लिए सहयोग करना चाहिए।

संपादकीय-द हिन्दू

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता वाली स्थिति

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विषय: भारत और पड़ोसी देशों के बीच संबंध. द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार

मुख्य परीक्षा: भारत की विदेश नीति और विश्व स्तर पर चुनाव

सन्दर्भ: पाकिस्तान में हाल के चुनावों से देश की स्थायी राजनीतिक अस्थिरता का पता चलता है, जो सैन्य हस्तक्षेप और प्रमुख दलों के बीच सत्ता परिवर्तन से प्रभावित है। सत्तावादी प्रभाव का मुकाबला करने में राजनीतिक सहयोग के महत्व को रेखांकित करते हुए समझा जाए तो आने वाली सरकार आर्थिक सुधारों को लागू करने में चुनौतियों का सामना करेगी।

राजनीतिक अस्थिरता के अंतर्हीन चक्र:

- ऐतिहासिक रूप से, पाकिस्तान में सैन्य समर्थित सरकारों का दोहरावपूर्ण पैटर्न देखा गया है, जिसके बाद बर्खास्तगी, टूट और उसके बाद चुनाव होते हैं।
- देश के किसी भी प्रधान मंत्री ने कार्यालय में पूर्ण कार्यकाल पूरा नहीं किया है।

प्रमुख दलों के बीच सत्ता का चक्रण:

- पाकिस्तान के प्रमुख राजनीतिक दल, जिनमें पीपीपी, पीएमएल (एन) और पीटीआई शामिल हैं, सभी अलग-अलग समय पर सेना के पक्षधर रहे हैं।
- इन पार्टियों के नेताओं को समर्थन से हटने पर कारावास या निर्वासन का सामना करना पड़ा है।

न्यायपालिका और सेना का हस्तक्षेप:

- न्यायपालिका ने सुविधाजनक समय पर निर्णयों के माध्यम से प्रधानमंत्रियों को बर्खास्त करने में भूमिका निभाई है।
- सैन्य प्रमुखों का सरकार और न्यायपालिका पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है।

हालिया राजनीतिक घटनाक्रम:

- इमरान खान की बर्खास्तगी और उसके बाद कारावास सहित कानूनी परेशानियां, चल रही राजनीतिक अस्थिरता को उजागर करती हैं।
- चुनावों में निर्दलियों का उदय और उसके बाद गठबंधन मोलजोल ने राजनीतिक परिदृश्य को और अधिक जटिल बना दिया है।

अगली सरकार के लिए चुनौतियाँ:

- आर्थिक सुधार और IMF के आदेशों का अनुपालन आने वाली सरकार के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी करता है।
- आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने और संरचनात्मक मुद्दों पर ध्यान देने के लिए राजनीतिक दलों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है।

हाइब्रिड लोकतंत्र के लिए सबक:

- मतदाताओं के रुख दर्शाते हैं कि हाइब्रिड लोकतंत्रों में पूर्वानुमानित परिणामों की गारंटी नहीं दी जा सकती।

- धार्मिक और चरमपंथी पार्टियों का ख़राब प्रदर्शन बदलती राजनीतिक गतिशीलता को उजागर करता है।
- विश्व स्तर पर लोकतांत्रिक विचारधारा वाले नेताओं को राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सत्तावादी ताकतों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए।

निष्कर्ष:

- पाकिस्तान का राजनीतिक परिदृश्य सैन्य हस्तक्षेप के ऐतिहासिक कृत्यों और प्रमुख दलों के बीच सत्ता संघर्ष से उत्पन्न चुनौतियों से भरा हुआ है।
- आगामी सरकार को इस अस्थिरता के बीच आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाना चाहिए, सत्तावादी प्रवृत्तियों का मुकाबला करने और देश को अधिक स्थिर और लोकतांत्रिक भविष्य की ओर ले जाने के लिए राजनीतिक सहयोग की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए।

सारांश: पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य हस्तक्षेप और प्रमुख दलों के बीच सत्ता परिवर्तन, हाल के चुनावों में बदलाव का अवसर प्रस्तुत करती है। राष्ट्र को स्थिरता और लोकतंत्र की ओर ले जाने के लिए नेताओं के बीच सहयोग आवश्यक है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

इलेक्टोरल बांड पर न्यायालय की 'ना' में निहित स्पष्ट संदेश

शासन

विषय: सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय

मुख्य परीक्षा: इलेक्टोरल बांड योजना पर SC का फैसला

सन्दर्भ:

- 15 फरवरी, 2024 को आए भारत के उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले में लोकतंत्र में पारदर्शिता के महत्व पर जोर देते हुए इलेक्टोरल बांड योजना को रद्द कर दिया गया।
- इस योजना में राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति दी गई थी, जिससे अभियान वित्तपोषण (campaign financing) में अनुचित प्रभाव और जवाबदेही की कमी को लेकर चिंताएं बढ़ गईं।

अभियान वित्तपोषण (campaign financing) में पारदर्शिता का अभाव:

- इलेक्टोरल बांड योजना में पारदर्शिता का अभाव था, जिससे मतदाताओं को यह जानने से रोका गया कि राजनीतिक दलों को किसने वित्त पोषित किया और इसमें कितनी राशि शामिल थी।
- अभियान वित्तपोषण में पारदर्शिता लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है, जिस पर उच्चतम न्यायालय के फैसले में जोर दिया गया है।

कानूनी मुद्दे और चिंताएँ:

- इस योजना में कॉर्पोरेट घरानों के लिए फंडिंग सीमा को हटा दिया गया, जिससे संभावित रूप से सरकार पर अनुचित प्रभाव पड़ सकता है।
- इस बांड ने घाटे में चल रही कंपनियों सहित कंपनियों को राजनीतिक दलों को चन्दा देने में सक्षम बनाया, जिससे फंड चैनलिंग के लिए शेल कंपनियों के गठन को लेकर चिंताएं बढ़ गईं।

लोकतंत्र और शासन पर प्रभाव:

- यह निर्णय क्रोनी पूंजीवाद के माध्यम से राजनीतिक शक्ति के संभावित दुरुपयोग को रोकता है, जहां कानून और नीतियां बड़े धन से प्रभावित होती हैं।
- अनुसूचित बैंकों को इलेक्टोरल बांड जारी करने की अनुमति देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम में संशोधन को भी न्यायालय ने रद्द कर दिया।

लोकतांत्रिक सिद्धांतों के सामने चुनौतियाँ:

- इलेक्टोरल बांड की शुरुआत ने विधायी प्रक्रिया को लेकर चिंताएं बढ़ा दीं, जिससे सार्वजनिक परामर्श और संसदीय बहस की कमी उजागर हुई।
- यह निर्णय भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की पुष्टि करता है, जिसमें सूचना का अधिकार (अनुच्छेद 19) और समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14) शामिल हैं।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सार:

- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, वित्त अधिनियम 2017 और कंपनी अधिनियम 2013 में संबंधित संशोधनों के साथ-साथ इलेक्टोरल बांड योजना को अमान्य कर दिया गया है।
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को इलेक्टोरल बांड जारी करना बंद करने का निर्देश दिया गया है, और जारी किए गए सभी बांडों का विवरण सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए भारत के चुनाव आयोग (ECI) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

- उच्चतम न्यायालय का फैसला लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने और शासन में पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित करता है।
- यह निर्णय लोकतंत्र की जीत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें ECI और न्यायपालिका जैसे संवैधानिक निकाय नागरिकों के अधिकारों और लोकतांत्रिक शुचिता के हित में कार्य कर रहे हैं।

सारांश: उच्चतम न्यायालय द्वारा इलेक्टोरल बांड योजना को अमान्य करना राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह निर्णय चुनावी शुचिता की रक्षा करने और शासन के भीतर जवाबदेही को बढ़ावा देने में एक प्रकार से महत्वपूर्ण क्षण साबित हुआ है।

प्रोलिम्स तथ्य:

नए सौदों में टॉरपीडो, रिफ्यूलर विमानों को DAC ने मंजूरी दे दी है

सन्दर्भ: रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने कई खरीद प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) को मंजूरी दे दी है, जिसमें ₹ 84,560 करोड़ के रक्षा उपकरणों के लिए लंबे समय से लंबित सौदे भी शामिल हैं।

प्रमुख खरीद प्रस्ताव:

- AoN ने अन्य स्वीकृतियों के साथ नौसेना की स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए हेवीवेट टॉरपीडो (HWT) और भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए फ्लाइट रिफ्यूलर विमान (FRA) का मार्ग प्रशस्त किया।

उन्नत क्षमताएँ:

- इस खरीद में नौसेना और तटरक्षक बल की निगरानी और अवरोधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मध्यम दूरी के समुद्री टोही और बहु-मिशन समुद्री विमान शामिल हैं।
- एक्टिव टोड एरे सोनार और HWT अधिग्रहण का उद्देश्य दुश्मन पनडुब्बियों के खिलाफ नौसेना के जहाजों की क्षमताओं को बढ़ाना है।

देरी और आधुनिकीकरण का समाधान करना:

- HWT, FRA और टोड-एरे सोनार के सौदे, जिनमें भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण देरी हुई थी, रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए फिर से शुरू किए जा रहे हैं।
- बेंचमार्किंग, लागत गणना और खरीद मात्रा के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

महत्त्व:

- नए उपकरणों की खरीद का उद्देश्य सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं और तत्परता को बढ़ाना, रक्षा तैयारियों में मौजूद कमियों को दूर करना है।

- आधुनिक प्रौद्योगिकियों और उपकरणों को अपनाना भारत के रणनीतिक उद्देश्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यताओं के अनुरूप है।

निष्कर्ष:

- DAC द्वारा कई खरीद प्रस्तावों को मंजूरी देना भारत की रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने और मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- देरी का समाधान करना और अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक उपकरणों की समय पर खरीद सुनिश्चित करने, उभरते खतरों और चुनौतियों के अनुरूप राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित समाचार उपलब्ध नहीं हैं।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

1. कार्टोसैट-2 श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कार्टोसैट-2 रिमोट-सेंसिंग उपग्रहों की एक श्रृंखला है।
2. 2005 से, इसरो ने कार्टोसैट -2 उपग्रह लॉन्च किए हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से मोटे, मध्यम और उच्च रिज़ॉल्यूशन वाली चित्र रिज़ॉल्यूशन क्षमताओं के साथ मैपिंग उद्देश्यों के लिए किया गया था।
3. लॉन्च के सत्रह साल बाद, कार्टोसैट -2, जो कि इसरो की दूसरी पीढ़ी के उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग उपग्रहों में से पहला है और जिसे मुख्य रूप से शहरी नियोजन में उपयोग किया गया है, को डीऑर्बिट किया गया है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) कोई 1
- (b) कोई 2
- (c) सभी 3
- (d) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या:

कथन 1 सही है: कार्टोसैट-2 रिमोट-सेंसिंग उपग्रहों की एक श्रृंखला है, जिसे पृथ्वी अवलोकन के लिए PSLV-C40 द्वारा लॉन्च किया गया है।

कथन 2 सही है: 2005 से, इसरो ने कार्टोसैट-2 उपग्रह लॉन्च किए हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से मोटे, मध्यम और उच्च रिज़ॉल्यूशन वाली चित्र रिज़ॉल्यूशन क्षमताओं के साथ मैपिंग उद्देश्यों के लिए किया गया था।

कथन 3 सही है: उपग्रह द्वारा भेजी गई तस्वीर कार्टोग्राफिक अनुप्रयोगों, शहरी और ग्रामीण अनुप्रयोगों, तटीय भूमि उपयोग और विनियमन, सड़क नेटवर्क निगरानी, जल वितरण, भूमि उपयोग मानचित्रों के निर्माण जैसे उपयोगिता प्रबंधन, भौगोलिक और मानव निर्मित विशेषताओं और विभिन्न अन्य भूमि सूचना प्रणाली (LIS) के साथ-साथ भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) अनुप्रयोगों को सामने लाने के लिए परिवर्तन का पता लगाने में उपयोगी होगी।

2. राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव (NYPF) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. NYPF 2017 में अपने मन की बात संबोधन में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए विचार पर आधारित है।
2. NYPF का पहला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था, जिसका विषय था "नए भारत की आवाज़ बनें और समाधान खोजें और नीति में योगदान करें"।
3. देश के केवल सरकार संचालित शैक्षणिक संस्थान ही इस कार्यक्रम में भाग लेने के पात्र हैं।

4. 18-25 आयु वर्ग के युवाओं की आवाज़ सुनना, जिन्हें वोट देने की अनुमति है लेकिन जो चुनाव नहीं लड़ सकते।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) कोई एक
- (b) कोई दो
- (c) कोई तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (b)

व्याख्या:

कथन 1 सही है: राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 31 दिसंबर 2017 को अपने मन की बात संबोधन में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए विचार पर आधारित है।

कथन 2 गलत है: NYPF 2019 का पहला संस्करण "नए भारत की आवाज बनें और समाधान खोजें और नीति में योगदान करें" थीम के साथ 88,000 युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया था।

कथन 3 गलत है: देश के सभी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान 'पोर्टल-आधारित युवा संसद कार्यक्रम' में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

कथन 4 सही है: 18-25 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को जिला युवा संसदों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसा इस आयु वर्ग के युवाओं की आवाज़ सुनने के लिए किया जाता है जिन्हें मतदान करने की अनुमति तो है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते।

3. स्वामीनाथन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 18 नवंबर, 2004 को कृषि मंत्रालय ने प्रोफेसर स्वामीनाथन के नेतृत्व में राष्ट्रीय किसान आयोग (NCF) का गठन किया।
2. स्वामीनाथन आयोग ने प्रदर्शनकारी किसानों की मांग के अनुसार C2 (उत्पादन की वास्तविक लागत) और इसमें 50 प्रतिशत जोड़ने के आधार पर MSP तय करने की सिफारिश की।
3. स्वामीनाथन आयोग ने MSP के लिए कानूनी गारंटी की सिफारिश भी की थी।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) कोई 1
- (b) कोई 2
- (c) सभी 3
- (d) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (a)

व्याख्या:

कथन 1 सही है: राष्ट्रीय किसान आयोग (NCF) का गठन 18 नवंबर 2004 को प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। कार्यक्षेत्र साझा न्यूनतम कार्यक्रम (Common Minimum Programme) में सूचीबद्ध प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं।

कथन 2 गलत है: स्वामीनाथन आयोग ने C2 (उत्पादन की वास्तविक लागत) और इसके 50 प्रतिशत को शामिल करने के आधार पर MSP तय करने की सिफारिश नहीं की, जैसा कि प्रदर्शनकारी किसानों की मांग थी। अपनी दूसरी रिपोर्ट में, NCF ने MSP से संबंधित केवल दो सिफारिशें कीं।

कथन 3 गलत है: स्वामीनाथन आयोग ने MSP के लिए कानूनी गारंटी की सिफारिश नहीं की।

4. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रारंभ में, संविधान में अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था
2. NCSC में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अतिरिक्त सदस्य शामिल हैं।

3. 2018 तक, इस आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के संबंध में भी समान कार्य करना था।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) कोई 1
- (b) कोई 2
- (c) सभी 3
- (d) इनमे से कोई भी नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या:

कथन 1 सही है: मूल रूप से, संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है, जो SC और ST के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करेगा एवं राष्ट्रपति को उनके कामकाज पर रिपोर्ट करेगा।

कथन 2 सही है: NCSC में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनकी सेवा की शर्तें और पद का कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

कथन 3 सही है: 2018 तक, NCSC अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए भी समान कार्यों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार था। हालाँकि, 2018 के 102वें संशोधन अधिनियम ने इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया, जिसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।

5. दक्षिण-पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन-सा एक देश भूमध्यसागर तक फैला नहीं है?

- (a) सीरिया
- (b) जॉर्डन
- (c) लेबनान
- (d) इज़राइल

उत्तर: (b)

व्याख्या:

भूमध्य सागर की सीमा 21 देशों से लगती है। वे अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इज़राइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया और तुर्की हैं। जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

1. इलेक्टोरल बांड योजना के फायदे और नुकसान पर चर्चा कीजिए। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द) [GS-2, राजव्यवस्था एवं शासन]

Discuss the pros and cons of the Electoral Bonds Scheme. Critically examine. (15 marks, 250 words) [GS-2, Polity & Governance]

2. पिछले 75 वर्षों में भारत और पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक यात्रा एक दुसरे से बिल्कुल भिन्न है। टिप्पणी कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द) [GS-2, अंतर्राष्ट्रीय संबंध]

The internal political journey of India and Pakistan in the last 75 years is as different as chalk and cheese. Comment. (10 marks, 150 words) [GS-2, International Relations]

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर **BYJU'S** की वेब साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)